A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

[19/7/2019]

प्रश्न सं. [क्र. 2900]

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2900 अतारांकित

डी.पी.सी. उज्जैन के माध्यम से राज्य शिक्षा केन्द्र को भेजे गये प्रस्ताव कि जानकारी

परिशिष्ट "1"

स.क्र.	जिला	पत्र क्र. एवं दिनांक	राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा कि गई कार्यवाही
1	उज्जैन	पत्र क्र./स.शि.अ./ईएण्डआर /2017/917 दिनांक 24.03. 2017	शिक्षा गांरटी शाला एवं औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र में कार्यरत गुरूजी एवं अनुदेशक को संविदा शिक्षक वर्ग–3 पर नियोजन हेतु शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। इसके लिए पंचायती शाला शिक्षा नियोजन नियम 2005 में आवश्यक प्रावधान किया गया है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यरत स्वंय सेवी शिक्षक, सहायक वार्डन को संविदा शिक्षक वर्ग –2 –या वर्ग–3 बनाने हेतु वर्तमान में कोई प्रावधान नही है।
2	उज्जैन	पत्र क्र./स.शि. अ./ईएण्डआर 2017/915 दिनांक 24.03.2017	सत्र 2017–18 में भारत शासन Project Approval Board (पी.ए.बी.) के द्वारा प्रत्येक जिले मे एक आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र 100 सीटर बालक छात्रावास मे परिवर्तित करने हेतु अनुमोदन दिया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु छाया प्रति संलग्न है।
3	उज्जैन	पत्र क्र./जिशिके./2019/353 दिनांक 14.02.2019	राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्र. /राशिके/ईएण्डआर/2019/2328 भोपाल दिनांक 22.04.2019 के द्वारा माननीय विधायक जी एवं संबंधित को अवगत कराया गया। सुलभ संदर्भ हेतु छाया प्रति संलग्न है।

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक / राशिके / ईएण्डआर / 2019 / 2328 भोपाल, दिनांक 22/4/19

प्रति,

श्री महेश परमार
विधायक, तराना
विधान सभा क्षेत्र क्रं. 214
14, ब्लॉक क्वार्टर, दमदमा कोठी रोड, उज्जैन म.प्र.

विषयः–संविदा पर नियुक्त सहायक वार्डन श्री करण शर्मा को शासकीय बालक आवासीय छात्रावास **दशहरा मैदान उज्जैन में नियुक्ति को यथावत रखने के संबंध में।**

सन्दर्भः–1. आपका पत्र क्रं.375 एवं 376 / 2019 दिनांक 02.03.2019
2. आपका पत्र क्रं. / 45 / पदस्थापना / 2019 दिनांक 15.01.2019
3. राशिके पत्र क्रं. / ईएण्डआर / 2017 / 7808 दिनांक 27.10.2017
4. राशिके पत्र क्रं. / ईएण्डआर / 2018 / 2865 दिनांक 10.05.2018
5. राशिके पत्र क्रं. / ईएण्डआर / 2018 / 6794 दिनांक 16.10.2018

विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्रो का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें संविदा पर नियुक्त सहायक वार्डन श्री करण शर्मा को शासकीय बालक आवासीय छात्रावास दशहरा मैदान उज्जैन में नियुक्ति को यथावत रखने के संबंध में आदेश प्रस्तारित करने का लेख किया गया है।

श्री करण शर्मा, सहायक वार्डन की नियुक्ति आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (RST) मोहन नगर उज्जैन में कलेक्टर जिला उज्जैन के आदेश क्रंमांक स.शि.अ. / 2017 / 147 दिनांक 17.01.2017 के द्वारा 31 मार्च 2017 तक के लिए की गई थी। जिसमें यह लेख किया गया है की (यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है इस पद पर पदाभिलाषी का कोई स्वत्व नहीं होगा एवं उक्त पद से बिना शर्त कभी भी सेवा समाप्ति का अधिकार जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, उज्जैन को रहेगा)।

भारत शासन के निर्देशानुसार वर्ष 2016–17 एवं राशिके पत्र क्रं. / ईएण्डआर / 2017 / 4758 दिनांक 03.07.2017 के द्वारा आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (RST) को नवीन बालक आवासीय छात्रावास में परिवर्तित कर संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (RST) एवं बालक छात्रावास दोनो पृथक–पृथक व्यवस्था के कारण राशिके पत्र क्रं. / ईएण्डआर / 2018 / 2865 दिनांक 10.05.2018 के अनुसार नवीन बालक आवासीय छात्रावास संचालन के नियम एवं नियुक्ति प्रकिया संबंधित निर्देश जारी किये गये है। जिसमें सहायक वार्डन के पद पर सेवानिवृत्त शिक्षक / सहायक शिक्षक की सेवाए संविदा पर ली जायेगी।

यह सही है, कि म.प्र.राजपत्र असाधारण सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल दिनांक 28 सितम्बर, 2017 में प्रकाशित म.प्र. सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2017 लागू किया गया है। यह नियम केवल विभागीय सेटअप या मुख्यमंत्री / मंत्रीगण की निजी स्थापना में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति से संबंधित है न कि सर्वशिक्षा अभियान परियोजना में स्वीकृत पदो के लिए।

3